



हाईकोर्ट का निर्देश पीएससी 2021: चयनित 44 डिप्टी कलेक्टर 8 डीएसपी को ज्वाइनिंग दें

पत्रिका ब्यूरो

patrika.com

बिलासपुर . हाईकोर्ट ने पीएससी 2021 के मामले में कहा कि जिन 44 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की, उन्हें 60 दिन में नियुक्ति दी जाए। उक्त सभी का चयन डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर हुआ है। हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद 2 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें सोमवार को अंतिम फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग सीबीआई की जांच और हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी।

विस्तृत @ छत्तीसगढ़

30/07/2025 | Raipur City |

Page : 5

Source :

<https://epaper.patrika.com/>